

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 508] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 1978/कार्तिक 25, 1900
No. 508] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 1978/KARTIKA 25, 1900

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

श्रम मंत्रालय

प्रसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1978

क्र० आ० 850 (अ)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा 19 नवम्बर, 1978 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसकी उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला वाराणसी में

चन्दौली तहसील की

1. माढ़िया, दान्दी और भोजपुर की नगरपालिका ;
और
2. महावलपुर, चन्दासी, करवट चौहार तथा सेमरा, दुल्हीपुर
व शुजाबाद के राजस्व ग्राम के सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र” ।

[संख्या एस-38013/7/78-एच०आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1978

S.O. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 19th November, 1978 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77,78,79 and 81 which have already been brought force) of the said Act shall come into force in the following areas in the state of Uttar Pradesh, namely :—

“The areas within

1. Municipal Limits of Marhia, Dandi and Bhojpur; and
2. Revenue village of Mahawalpur, Chandhasi, Karwat, Chaurhar and Semra, Dulhipur and Shuzabad in Tehsil Chandauli, of District Varanasi”.

[No. S-38013/7/78-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.